Rurali chaubey

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

(a) कैबिनेट मिशन

कब भारत आया - 24 मार्च 1946

सदस्य - लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर

प्रस्ताव - संविधान सभा का गठन जिसकी संस्तुति पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ।

(B) शून्यकाल :)

- यह संसदीय प्रक्रिया का भाग
- प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल (12 - 1 pm) का समय होता
- इस काल सदन में सदन में अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामलों पर चर्चा होती है।

(C) अनुमान समिति

- यह संसद की वित्तीय स्थायी समिति
- सदस्य संख्या - 30 लोक सभा, एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता।
- कार्य - सदन के खर्च में कैसे मितव्ययता, संगठन में कैसे कुशलता लाएं आदि विषयों पर रिपोर्ट देती।

(Mains Answer Sheet)

(D) संविधान का भाग ॥

(E) न्यायिक सक्रियता

- न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली सरल त्वरित न्यायिक प्रक्रिया
- इसके अंतर्गत नागरिको के अधिकारों के संरक्षण व सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य न्यायपालिका आगे बढ़कर सक्रिय रूप से कार्य करती है
- उदा. - पर्यावरण संबंधी मुद्दे, कोरोना समय लिये निर्णय आदि

(F) मूलढांचे का सिद्धांत

- इस सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में किया गया
- इस सिद्धांत में आने वाले तत्वों को अनु. 368 के तहत संशोधित नही किया जा सकता
- आने वाले तत्व - संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा आदि

(क) संविधान के तहत सम्पत्ति का अधिकार

- भारतीय संविधान में सम्पत्ति का अधिकार अनु. 19(च) में विद्यमान था।
- 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया।
- अनु. 300(क) में इसे एक वैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया।

(ख) समान नागरिक संहिता।

- यह इस संहिता का उल्लेख नीति निदेशक सिद्धांत में अनु. 44 में किया गया।
- सभी नागरिकों के लिए समान कानून
- भारत में केवल गोवा राज्य में यह लागू है।

(ग) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार

KAUTILYA ACADEMY INDORE

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

(K) सीएजी
- संविधान में सीएजी का उल्लेख अनु. 148 में किया
- नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा की जाती, 6 वर्ष या 65 वर्ष
- कार्य - सार्वजनिक व्यय का लेखा परीक्षा करना

(L) अखिल भारतीय सेवाएँ
- यह सेवाएँ केन्द्र व राज्यों में समान होती है
- इन सेवाओं के सदस्य केन्द्र व राज्यों में शीर्ष पदों पर होते है।
- अनु. 312 में राज्य सभा को इनके गठन का अधिकार है
- भारत में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ - भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा।

(M) वित्तीय आपात

(1) संविधान के अनु. 360 में प्रावधान है।
- वित्तीय स्थायित्व व साख के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है।
- दो माह के अंदर संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक।
- इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं
- इसके अंतर्गत सरकारी (केन्द्र+राज्य) के वेतन में कमी की जा सकती है।
- अभी तक लागू नहीं किया गया।

(N) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- केंद्र शासन-प्रशासन की शक्तियों के हस्तांतरण से है
- केंद्र - राज्य - ग्राम स्तर पर सरकारों का गठन
- राज्य व स्थानीय शासन को पर्याप्त स्वायत्तता व स्वतंत्रता देना शामिल है।

(O) के. एम. पणिक्कर

- यह एक इतिहासकार, प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 के सदस्य थे
- जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया था।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Q 2 (A) भारत की चुनावी व्यवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रभाव की जानकारी दीजिए।

भारत में चुनावों में EVM का सर्वप्रथम प्रयोग 1999 में गोवा व 2004 के संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव के दौरान इस मशीन का प्रयोग किया तथा वर्तमान में भी इसका प्रयोग जारी है।

भारत में चुनावी व्यवस्था में EVM के प्रभाव को इस प्रकार देख सकते हैं—

प्रभाव —

- → इसके प्रयोग से चुनाव सम्पन्न कराने में बिल की बचत
- → EVM को इधर-उधर के इलाकों लाने ले जाने में आसानी से पहाड़ी इलाकों में वोट डालना आसान हुआ
- → इसके प्रयोग से मतगणना में तेजी परिणाम त्वरित
- → फर्जी मतदान में कमी
- → मतदान के पश्चात गड़बड़ी की समस्या में कमी
- → परिणाम के समय तक इसमें सुरक्षित विवाद की स्थिति में दोबारा मतगणना संभव

अतः EVM का उपयोग चुनाव सुधार का एक कदम बताया जाता है किंतु वर्तमान में कई राजनीतिक पार्टियों ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा इन्हें पूर्णतः खारिज किया अतः हैक इसकी सुरक्षा व VVPAT का उपयोग कर अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।

KAUTILYA ACADEMY
INDORE

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

Q 20 NGT क्या व उद्देश्य?

संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई। यह एक प्रकार का कोर्ट है इसमें मात्र विशेष संबंधित मामलो को लेते है जैसे पर्यावरण, वनों के संरक्षण, क्षतिपूर्ति या व्यक्तियों को हुए नुकसान आदि के बारे में निर्णय लिये जाते है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण की स्थापना का उद्देश्य निम्नप्रकार है

उद्देश्य
→ इसमें पर्यावरण संरक्षण, वनो तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित के प्रभावी और त्वरित निपटान है
→ निर्णय देते समय टिकाऊ विकास को ध्यान में रखना
→ इसका मानना है पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले इसकी भरपाई करे

इस तरह पर्यावरण संरक्षण व संबंधित रोक न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए इस न्यायाधिकरण को कारगर तथा सदन द्वारा POSCO इस्पात संयंत्र, NCR मे 10 साल पुराने डीजील वाहनों पर प्रतिबंध आदि निर्णयो द्वारा अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है

प्रश्न संख्या | मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet) | सफलता का प्रवेश द्वार

Q. 3

भारतीय संविधान में एकीकरण की प्रवृत्तियों की जानकारी दीजिये?

भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषा आदि के लोग रहते हैं अतः संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता व अखण्डता को बरकरार रखने के लिए संविधान में प्रावधान किये हैं।

भारतीय संविधान में एकीकरण की प्रवृत्तियों को इस प्रकार देख सकते हैं—

- सम्पूर्ण देश का एकल संविधान की व्यवस्था।
- संविधान के भाग II में एकल नागरिकता का प्रावधान।
- एकीकृत न्यायपालिका जिसमें सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय।
- संपूर्ण देश में समान अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान (अनु. 312)।
- राष्ट्रपति (अनु. 52) का पद जो भारत का प्रथम नागरिक।
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।
- मूल अधिकारों का प्रावधान (अनु. 12-35) तक।
- सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिए नीति निदेशक सिद्धांत आदि।

इस तरह हमारे संविधान ने भारत की एकता व अखण्डता को बनाए रखने का प्रयास किया जो 1949 (संविधान निर्माण) से अब तक कायम है।

(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

Q2 (D)

निवारक निरोध क्या है? भारतीय संविधान में इसे क्यों शामिल किया है?

निवारक निरोध राज्य के अधीन एक संवैधानिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। इसका उल्लेख अनु 22 (3) में किया गया है।

भारतीय संविधान में निवारक निरोध को शामिल करने के पीछे निं. लि. कारण ⇒

कारण →
- राज्य की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
- आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति व रखरखाव
- विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा

निवारक निरोधक कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत यह जारी किए जा. उदा. J.K. में कोरोना समय में इसका प्रयोग व पहले में भी इसका प्रयोग देखने को मिला।

अतः निवारक निरोध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक लेकिन ध्यान देने की बात कि इस कानून का दुरुपयोग न हो।

१(क) न्यायिक पुनरावलोकन किस सिद्धांत पर संक्षिप्त जानकारी दीजिये।

भारतीय संविधान में उच्चतम व उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है।

न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य स्तर पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करता है तथा उन्हें इसके उल्लंघन पर उन्हें असंवैधानिक, अ-विधिक व अवैध घोषित कर देता है एवं सरकार द्वारा इन आदेशों को लागू नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक पुनरावलोकन को लागू करने के पीछे सिद्धांत को देखें तो वह इस प्रकार है—

- संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखना।
- संघीय व्यवस्था को मजबूत के लिए।
- नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए।

अतः न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कार्यपालिका व विधायिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
भारत का नं. 1 संस्थान
सफलता का प्रवेश द्वार...

अर्द्धन्यायिक निकाय से क्या आशय है उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए?

अर्द्धन्यायिक निकाय वह निकाय है जिसे न्यायपालिका जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती है तथा यह क्षेत्र विशेष तक सीमित होते है जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सदन, आदि को लिया जा सकता है

अर्द्धन्यायिक निकायों की विशेषताएँ ⇒

- विवादो के निपटारा त्वरित व सरल तरीके से।
- क्षेत्रविशेष से संबंधित जैसे उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता की सुरक्षा वही प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा की समस्याओं आदि
- न्यायालय समान शक्तियाँ प्राप्त होती
- इनके निर्णयों को मान्यता प्राप्त
- इनके निर्णयों से असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में अपील कर सकता है

इस तरह अर्द्धन्यायिक निकायों ने न्यायालय के बोझ को कम व न्याय-निर्णय प्रक्रिया को सरल व त्वरित बनाया।

Q. 4(ग)

फ्रांस संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए?

फ्रांस एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है तथा चार्ल्स डी गाल के नेतृत्व में 1958 में संविधान का निर्माण किया गया है।

फ्रांस के संविधान में नि॰लि॰ बातों का उल्लेख →

- लिखित संविधान।
- गणराज्य घोषित अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता।
- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बल।
- एकात्मक व्यवस्था अर्थात केंद्र में समस्त शक्ति विद्यमान
- कठोर संविधान, संशोधन पर दोनों सदनों में न्यूनतम 60% समर्थन
- अर्द्ध अध्यक्षीय व अर्द्ध संसदीय
- द्विसदनीय व्यवस्था सीनेट व नेशनल असेम्बली
- पंथनिरपेक्ष
- मूल अधिकारों
- मानव अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल आदि।

इस तरह फ्रांस का संविधान नागरिकोन्मुखी है जिसमें जनता को वरीयता व प्राथमिकता दी गई है।

2 (ग) मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आलोचना कीजिये:

भारतीय लोकतांत्रिक देश में विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका को तीन स्तंभ माना व चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को स्वीकार किया गया है।

मीडिया के अंतर्गत प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लिया जाता है जिसके कार्य इस प्रकार हैं -

- मीडिया तीनों स्तंभों को नियंत्रित रखती है।
- मीडिया जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम करती सरकार की योजनाओं को जनता तक व जनता की समस्या को सरकार तक पहुँचाती
- यह सरकार के क्रियाकलापों पर नजर रखती व इसके कार्यों की आलोचना भी करती है
- भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम
- मीडिया समाज के ऐसे मुद्दे को उठाती उसके पश्चात सरकार इस मामले के प्रति ध्यान देती है
- यह जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करती है। आदि।

इस तरह मीडिया अनेक कार्यों को करती है किंतु मीडिया को चाहिए कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर कार्य करे ताकि लोकतंत्र अधिक मजबूत हो सके।

Q. 2

(I) नक्सलवाद के कारणों की जानकारी दीजिए?

भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पं.बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई वर्तमान में यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है।

नक्सलवाद (समस्या) के कारणों पर दृष्टि डाले तो निम्न कारण दिखाई देते है-

- आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी व आर्थिक असमानता
- आदिवासियों की भूमि व जंगल में खनन कंपनियों का प्रवेश जिससे उनकी आजीविका को खतरा
- इन क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
- विकासात्मक योजनाओं की पहुंच इन क्षेत्रों तक नहीं। आदि।

उपरोक्त कारणों ने नक्सलवाद को जन्म दिया एवं सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए रोशनी, समाधान जैसे कदम उठाये वहीं इन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है।

Q3 (A) भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें साथ ही बताएं क्या वह रबर स्टैम्प है?

राष्ट्रपति, भारत राज्य का प्रमुख होता इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है इसमें सभी संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता एवं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनु. 52 में किया गया है साथ ही इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई है जो इस प्रकार है-

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

- कार्यकारी शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
- वित्तीय शक्तियाँ
- न्यायिक शक्तियाँ
- अन्य शक्तियाँ

कार्यकारी शक्तियाँ ⇒ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य इसी के नाम पर किये जाते है।

→ नियम बना सकता, आदेश दे सकता।

(Mains Answer Sheet)

संख्या

नियुक्तियाँ => मंत्रियों की नियुक्ति

- महानियंत्रक लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि।

विधायी शक्तियाँ => संसद की बैठक बुलाना, विघटित कर सकता, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान।

=> प्रथम आम चुनाव के बाद व वर्ष के प्रथम अधिवेशन को संसद को संबोधित।

- राज्य सभा के 12 सदस्यों को मनोनीत आदि

न्यायिक शक्तियाँ => SC के मुख्य न्यायाधीश व SC व HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति

=> अनु.72 क्षमा

अन्य शक्तियाँ => अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौता राष्ट्रपति के नाम पर

=> तीनों सेनाओं का सेनापति

=> आपात उद्घोषणा (Art-352)

=> वीटो शक्ति अन्य

चूंकि संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई किंतु किंतु इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रीपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करता इसलिए इसे रबर स्टाम्प कहा जाता है किंतु लेकिन

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

सफलता का प्रवेश द्वार...

राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी है जोकि निम्न प्रकार है =)

- लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री नियुक्त
- लोकसभा को विघटित यदि मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो दे
- विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना

उपरोक्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में विद्यमान होती है अतः राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहना सही नहीं होगा क्योंकि वह हमारी राष्ट्रीय एकता अखण्डता के प्रतीक रूप में जाने जाते है व उन्हें कुछ शक्तियाँ दी गई जो उनके विवेक पर निर्भर करती है अतः राष्ट्रपति का पद एक गरिमा का पद अतः हमें उनका सम्मान करना चाहिए न कि उनके पद पर प्रश्नचिन्ह।

संख्या

(Mains Answer Sheet)

Q. 3(B) स्थानीय स्वशासन पद्धति के विकास की जानकारी दीजिये व उसके महत्व को बताइये।

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं यह भारतीय इतिहास में प्राचीनकाल से चली आ रही है जो वैदिककाल, गुप्त मध्यकाल व आधुनिक काल में स्वतंत्रता के पश्चात 73वां व 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता संवैधानिक मान्यता दी गई।

स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन की विकास पद्धति को देखें तो वह निम्न चरणों से होकर गुजरती है जो इस प्रकार है

सामुदायिक विकास (1952) कार्यक्रम

73वां व 74वां संविधान संशोधन

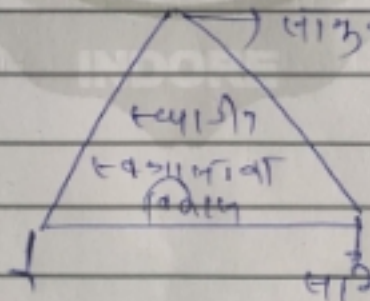

समितियों का गठन
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता
- एल. एम. सिंघवी समिति
-

KAUTILYA ACADEMY INDORE

सामुदायिक विकास कार्यक्रम => इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना था लेकिन इस कार्यक्रम को पर्याप्त सफलता नहीं मिली। तथा इसकी जाँच के लिए निम्न समितियाँ बनी

(2) समितियाँ => सिंघवी समिति – त्रिस्तरीय पंचायतीराज पद्धति की बात, ग्राम, ब्लॉक व जिलास्तर पर

- शक्ति व उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात
- योजना व विकास कार्य स्थानीय निकायों को सौंपे जाए

अशोक मेहता समिति => द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया।

एल.एम. सिंघवी समिति => स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता व संरक्षण की बात

(3) 73वां व 74वां संविधान संशोधन => 1992 में विधेयक को पारित कर, स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई

- संविधान के भाग 9 व 9(क) में इसे शामिल किया गया

स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डाले तो वह निम्न दिखाई देते है-
- स्थानीय स्तर के सर्वांगीण विकास।
- स्थानीय लोगों की राजनीति में भागीदारी।
- महिला सशक्तिकरण को बल मिला।
- स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि।
- लोगों की समस्याओं व उनके अनुसार योजना निर्माण। आदि

इस प्रकार स्थानीय स्वशासन से भारत में शासन, प्रशासन को निचले स्तर तक ले जाया जायेगा जिससे भारत जो गांवों का देश है व पिछड़ा हुआ है उसका सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास को गति मिलेगी व गांधी जी की 'सर्वोदय' व 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा को साकारित करने पर बल मिलेगा। किंतु आवश्यकता है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति, जनता की भागीदारी तभी धरातलीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Q. 3 (ख) धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का विश्लेषण करो?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ उल्लेखित किया गया है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं वह सभी धर्मों को समान संरक्षण व स्वतंत्रता प्रदान करता है साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तृत वर्णन मूल अधिकारों के भाग में अनु 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को हम इस प्रकार देखते है

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण, मानने आचरण प्रसार की स्वतंत्रता अनु 25
- धार्मिक कार्यों न प्रबंध अनु 26
- धर्म की अभिवृद्धि संस्थाओं को चंदा Art 27
- धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान अनु 28

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

(1) अंतःकरण, धर्म को मानने, आचरण व प्रसार की स्वतंत्रता => (1) किसी व्यक्ति को भगवान व उनके स्रोत के साथ अपने ढंग से अपना संबंध बनाने का आंतरिक अधिकार

- किसी भी धर्म को मानने व आस्था रखने का अधिकार)
- धार्मिक पूजा, अर्चना, समारोह करने व अपने विचारों व आस्थाओं को प्रदर्शित करने का अधिकार
- अपने धर्म को प्रसार करने का अधिकार भी शामिल किंतु जबरदस्ती धर्मांतरण पर नहीं है।

(2) धार्मिक कार्यों में प्रबंध => धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण का अधिकार।

- इन संस्थाओं का प्रबंध संबंधी अधिकार प्राप्त
- जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार।
- विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार

(3) करों के संदाय की स्वतंत्रता => किसी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि व पोषण के लिए करों के संदाय के बाध्य नहीं किया जायेगा।

(5) धार्मिक शिक्षा संबंधी => राज्य निधि द्वारा वित्त पोषित संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

जैसे संस्थान, जिनका प्रशासन राज्य तथा स्थापना किसी न्यास द्वारा धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है

राज्य द्वारा मान्यता व वित्त प्राप्त संस्थान को स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति

इस तरह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया जो सभी धर्मों के प्रति समानता को व्यक्त करते हैं किंतु भारत में विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्य, कटुता दिखाई देती है अतः सभी धार्मिक संगठनों को चाहिए कि वह सभी धर्मों के प्रति समानता, समन्वय, सहिष्णुता रखें व सर्व धर्म समभाव को साकारित करें तभी भारत में अनेकता में एकता की भावना प्रबल होगी।

KAUTILYA ACADEMY INDORE